प्रकरण संख्या 52 / 2018

प्रकरण – अन्तर्गत धारा 212 आरटीए.

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
19/07/2018	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना–पत्र धारा **212 आरटीए.** के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रश्नगत भूमि वाके चक 32 **ए के पत्थर नं. 347 / 440 मुरब्बा नं. 40 के किला नं.– 1ता20, 21 / 1से 24 / 1 प्रत्येक का** 0.228 **हैक्टर व 25 / 1 का 0.227 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.199 हैक्टर नहरी** भूमि की आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। सम्बन्धित को तहरीर / सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **08 / 08 / 2018** को पेश हो।	
6/8/18	आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रा०पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इसलिए प्रा०-पत्र को कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रा०-पत्र खारिज किया जाता है	पेशकार

खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार
दाखिल दफ्तर हो नम्बर हेतु को

उप खण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner